

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 384 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 12/ 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच-79) के किमी0 नं0-11 (चैनेज संख्या-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418 ग्राम-सिरसिया तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बांधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-338/11-सी- एफ0पी0/ यू0पी0 / एप्रोच/153338/2022 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या-338/ 2-6 दिनांक 05.08.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या-1 पर उठायी गयी आपत्ति की आख्या

निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	प्रभागीय निदेशक उल्लंघन पर (वन संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम-1980 के सेक्शन-3ए, 3बी, के तहत कार्यवाही करेंगे ?	विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा (वन संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम-1980 के सेक्शन-3बी, के तहत एच-2 केस संख्या-38/ 2023-24 दिनांक 26.12.2023 द्वारा कार्यवाही की गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

dl

भवदीय

R. J. J. J.
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पुस्तक सं०

68

वन विभाग उत्तर प्रदेश

पेज नं० 37

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध

रिपोर्ट नं० दिनांक 24/11/2023

रिपोर्ट नं०

रेन्ज केस नम्बर

38/2023-24

20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता

सौरभ सिंह जी. श्री अनन्दा सिंह

राज - कुशी प्रवता, पोस्ट - पचरवता थाना - रायगोन

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता

जात - जंगल - देवरिया

सुपुत्रगोण कुशी प्रवता देवरिया

3. कथित अपराध का पूरा विवरण

देवरिया - कुशी प्रवता थाना - 11 से 12 के अन्तर्गत
पुत्री प्रवता पर जात - सिरीसगा, थाना - राजपुर चारखाना जिला -
देवरिया में विना आज्ञा अतिक्रमण के 0.075 हे. वन क्षेत्र में
वन को काटने और नाला प्रयोग किया जाना जो वन संरक्षण अधिनियम
1980 के चार 3 (क) अन्तर्गत है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

अज्ञात स्थान पर देवरिया - कुशी प्रवता थाना - 11 से 12 के
अन्तर्गत पुत्री प्रवता पर जात - सिरीसगा, थाना - राजपुर चारखाना
जिला - देवरिया स्थित वन क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध विना
अज्ञात 0.075 हे. वन क्षेत्र का अतिक्रमण करने पर सशक्त
अनुगोण का और नाला प्रयोग किया जाना जो वन संरक्षण
अधिनियम 1980 के चार 3 (क) अन्तर्गत है।

होया प्रति प्रमाणित किया गया है।

R. J. Jha
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी

K. Jha
केस काटने वाले का हस्ताक्षर